

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 472]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 2 दिसम्बर 2020—अग्रहायण 11, शक 1942

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2020

क्र. एफ-1-3-2018-छब्बीस-1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात:-

// संशोधन //

उक्त नियमों में, अनुसूची-तीन में, अनुक्रमांक 1 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात:-

अनुसूची-तीन  
(नियम 8 देखिए)

सीधी भर्ती के लिए आयु तथा अर्हता

अनुक्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1.	सहायक संचालक (संवर्ग)	21 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एस. डब्ल्यू. (सामाजिक कार्य में मास्टर) अथवा मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर	सरकार के परामर्श से लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बूटासिंह इवने, उपसचिव.

Bhopal, the 2nd December 2020

No. F-1-3-2018-XXVI-1.- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Social Justice and Disabled Persons Welfare (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2015, namely :-

**// AMENDMENT //**

In the said rules, In, Schedule-III, for serial number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

**Schedule - III  
(See rule 8)  
Age and Qualification for Direct Recruitment**

S.No.	Name of Post	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit	Prescribed Educational Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1.	Assistant Director (Cadre)	21 Years	40 Years	M.S.W. (Master of Social Work) or post graduate in Psychology from any recognized University	Direct recruitment through Competitive examination to be conducted by Public Service Commission in consultation with the Government."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
BUTA SINGH EVNE, Dy. Secy.